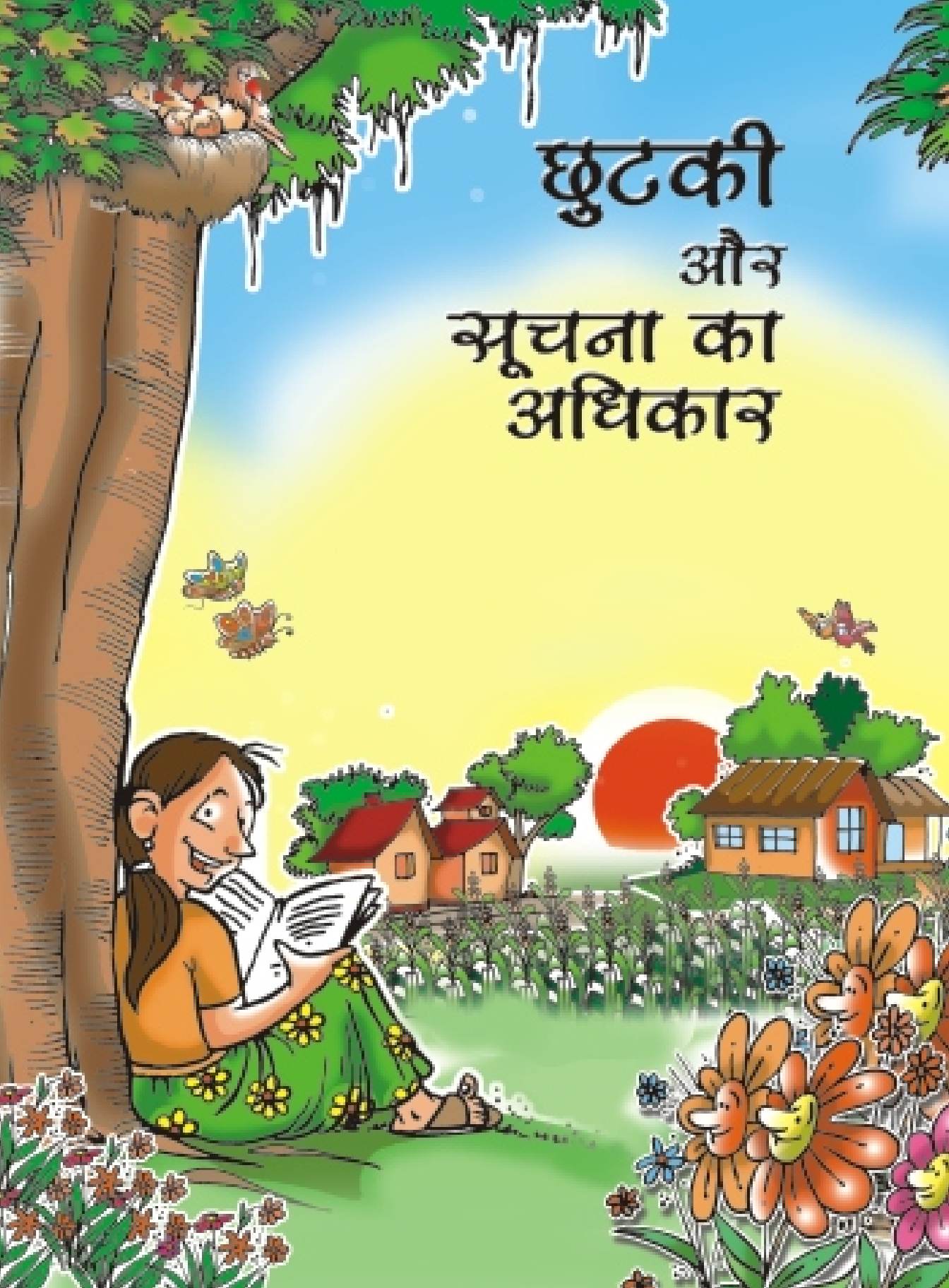


छुटकी और सूचना का अधिकार



सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रकाशक : समर्थन-सेंटर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट, भोपाल

प्रकाशन वर्ष : 2008

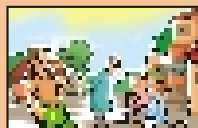
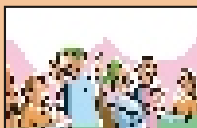
प्रथम संस्करण : 3000 प्रतियाँ

उचित स्वीकृति से सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है।

चित्रांकन एवं मुद्रण : एम.एस.पी. ऑफसेट, भोपाल

छुटकी - समर्थन की परिकल्पना है।

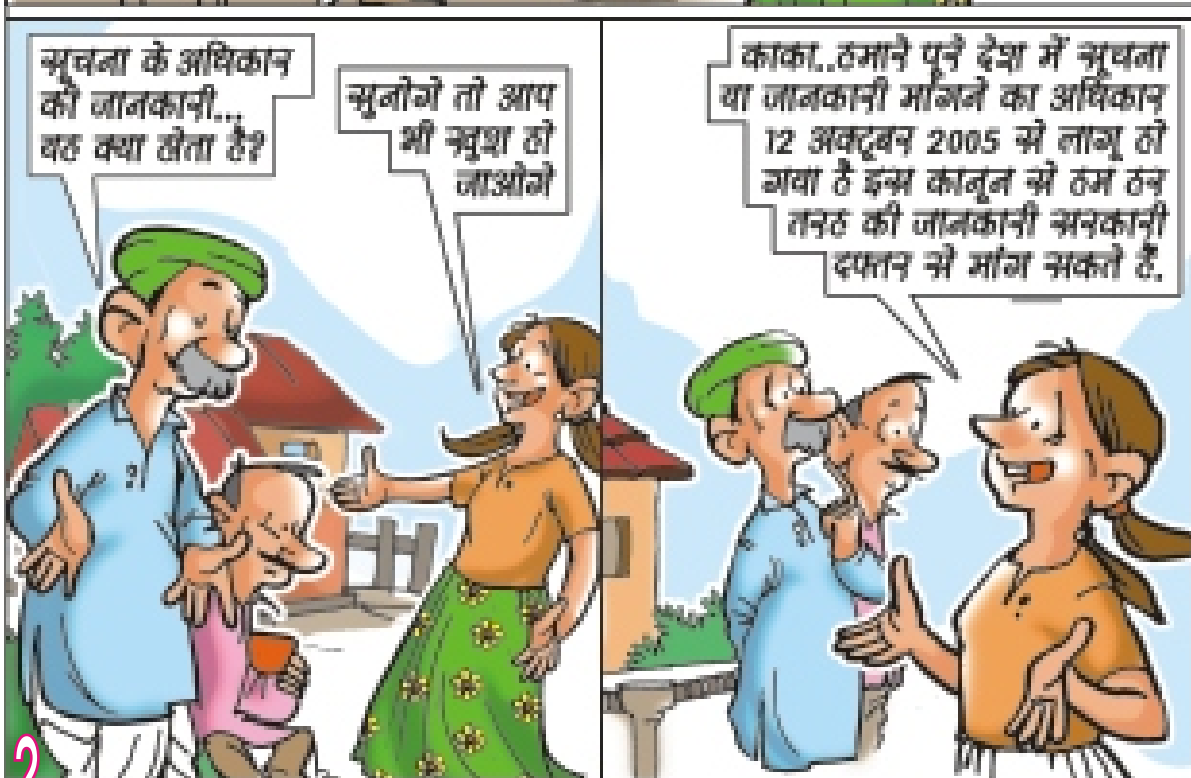
यह प्रकाशन फोर्ड फाउंडेशन, नई दिल्ली के सहयोग से किया गया है।



यह **छुटकी** है..

इन्सके छोटे से कन्बे का नाम
किन्ननगढ़ है...छुटकी बहुत होशियार और
चतुर है वह अपनी कक्षा में अव्वल आती
है और उसे आनन्द की कई
जानकानियाँ हैं, कि कौन सा काम कैसे
किया जाता है..आज छुटकी ठमें सूचना के
अधिकार के बारे में बताएगी..इन्सके तहत
आम आदमी किसी भी अनकारी विभाग
से जानकारी मांग सकता है
बाकी आगे देखें....







काका..छुटकी तो यबला बर्द है...
कोई जानकारी नहीं मिलती आज
के जमाने में..

चंदन तु कक, पुर्वे
तो छुटकी से क्या क्या
जानकारी मांग
सकते है,
बता छुटकी

इन कानून के माध्यम से
हम अपने फायदे और समाज
से जुड़ी सभी जानकारी
अपनी पंजाबा, अर्थशास्त्री केन्द्र,
जमान विज्ञान, जमान पत्रिका
समाज की दुकान व किसी भी
विभाग से मांग सकते हैं

अने छुटकी बिटिया कोई
जानकारी न दे तो...?
शामन की जानकारी तो
गोपनीय होती है?

कुछ जानकारी
को छोड़ कर कोई भी
जानकारी गोपनीय
नहीं है.

लोकल छुटकी..
जानकारी देगा
कौन..? और
मिलेगी कैसे..?

..मैं तो तब
मानू जब तु जानकारी
लाकने दिन्वाह..



अच्छा तो आप लोग ऐसे नहीं मानते थे चलो ठीक है तो हम सब लोग कल तहसील कार्यालय चलते हैं जहाँ पत्र में आपके सामने आवेदन करोगी और आप लोग देखना कि जानकारी कैसे ली जाती है...



ये ठीक रहेगा ना काका.. कल हम चलकर देख ही लेते हैं सूचना के अधिकार की बात ..

सभी लोग फुटकी के साथ तहसील कार्यालय पहुंचते हैं..





तहसील कार्यालय पहुंचकर सभी लोगों के सामने फुटकी ने आवेदन तैयार किया

अब आप सब लोग देखें आवेदन कैसे तैयार करना है...



फुटकी बिटिया, अब आवेदन कैसे और किसे देंगे..?



आप सब लोग मेने साथ चले, ... मैं इस आवेदन को इस दफ्तान के लोक सूचना अधिकारी को दूंगी आप सब देखेंगी...



तहसील कार्यालय में...

अरे...अरे वत बाबा कहां घुसी घली आ रही है, वत धर्मशाला नहीं है, नाराय का दफतान है.







सभी शंकुपन्नाल जी के कमरे में जाते हैं

क्या हम
अंदर आ
सकते हैं?

कौन है
आप लोग..?

हम लोग
किशनगढ़
से आए हैं...



क्या काम है ?

मैं सूचना के अधिकार के
तहत आवेदन देकर जानकारी
लेना चाहती हूँ..

अच्छा तो आप लोग सूचना
के अधिकार के तहत जानकारी
मांगने आए हैं, किन्तु मंझकाया
है तुम लोगों को..?







मन हम अपने मौलानों से
जुड़ी जानकारीयाँ चाहते हैं जो
कि आवेदन में लिख दी हैं



आवेदन को देखकर अधिकारी बोला...

आवेदन शुल्क के
लिफ्ट स्टाम्प नहीं
लगाया है

मैं नकद
आवेदन शुल्क
लाई हूँ



अच्छा तो नकद ही दे दो...
और जानकारी आपको एक
महीने में आवेदन में लिफ्ट पते
पर भेज दी जाएगी...

सचमुच, आवेदन की पावती
और शुल्क (फीस) की
नकदी तो दे दो...



अने वक्त नकदी तो बड़ी तेज है...

अने चौकीदार...
नकदी कट्टा और नील
कल नकदी है तुम्हें..
लाकर दे...





अधिकारी द्वारा ठगियान डालने
और घुटकी की जीत को रोककर
सभी खुश हुए और छोड़े तब कन
चढ़े ही गए...



आवेदन की पावती और घुलक का नसीद
लेकर सभी कार्यवाही किया जगह चले गए



वाह.. घुटकी मात्र गए तेनी हिम्मत
और सूचना के अधिकार कानून की
बल को.....



अधिकारी को मजबूत
कर दिया हमारी
घुटकी ने... ' वाह घुटकी..

काका, मेरी लती
यह कानून की
ताकत है





काका, इस कानून के द्वारा सरकार ने जानकारी मांगने, निरीक्षण करने के लिए निर्धारित आवेदन बनाया है जिसे अनुरोध हम विभाग के कार्यालय में जमा कर जानकारी मांग सकते हैं ... इसे सारे कर्मचारी पत्र भी लिखकर दे सकते हैं



लेकिन कुछ ही वरि आवेदन लेकर लोक सूचना अधिकारी जानकारी न दे तब हम क्या कर सकते हैं?

तब हम प्रथम अपील अधिकारी को अपील करने में



अपीलीय अधिकारी को हमने कुछ ही वरि

काका हम विभाग ने लोक सूचना अधिकारी के उपर अपील अधिकारी लिख कर दिया है जो जानकारी न दिए जाने पर कार्यवाही कर सकते हैं





कैसे साबित होगा
की लोक सूचना
आधिकारी
जाबकारी नहीं
दे रहा है...?

उमने यह यादती ली है
किम पन आवेदन हमनपन
तानेन्य और नील लगी है
आज से 30 दिनों के अंदर
जाबकारी उन हाल में देनी
होगी। 30 दिनों में जाबकारी
न देने पन अपील कर
सकते हैं..

फुटकी, तेनी बात तो समझ आ गई कि
30 दिनों में जाबकारी नहीं मिलती तो हम
अपील कर सकते हैं लेकिन अपील करने
से भी जाबकारी नहीं मिली
तो क्या करेंगे..?

नरमोज पापा, जब हम दूसरी अपील नॉज
सूचना आयोग के कमिशनर व केन्द्र के
मामलों में केन्द्रीय सूचना आयोग के
कमिशनर के पास अपील करने

फुटकी बिटिया, क्या
आवेदन करने अपील
करने व शिकायत
करने में भी कोई
खर्च होगा क्या..?

काका इन कानून में
आवेदन शुल्क और अपील
करने की फीस नहीं
जई है शिकायत का
कोई शुल्क नहीं है.





जैसे आवेदन व अपीलें
मुल्क मरीजी सेवा के लीव
के पत्रिका के लिये माफ है
वैसे ही उन्हें पचास पेज तक
फोटोकॉपी के लिए पैसा नहीं
देना होगा लेकिन अन्य
सौख्यो में फीस ली
जायेगी...

कुटकी बिटिया
कितना मुल्क
लिया जायेगा ?

चंदन मैरा, विभाग जब जानकारी
सामान्य पत्रिका को देता तो
फोटोकॉपी का दो रुपया प्रति पेज
लिया जायेगा...

अगर कोई व्यक्ति
जाजकनी का निर्माण
करना चाहे तो भी
इतना ही मुल्क
देना होगा

जहाँ ककर.. ककर में
फाइन का निर्माण
एवं बनवा लेने के
लिए अलग मुल्क
निर्धारित है.

तो क्या वह
बहुत अधिक है
और सबको देना
सोता है कुटकी
बिटिया..?

नहीं बहुत अधिक नहीं है
आपको नैयकता के विकास
का निर्माण करने के लिए
निर्धारित मुल्क देना होगा..







मुझे तो अनोखा लगी होना
जब कुटकी के द्वारा लगाए आवेदन
पर जायकारी मिल जाए..

नहीं कल,
चंदन तुने...

मुझे पता अनोखा है कि
तेलंगली कार्यालय ठामे तीन दिन
के भीतर जायकारी पहुंचाएगा

देखते हैं,
चिटिया

और 15 दिन बाद ठाकिया गांव में आया....

मैं कुटकी चिटिया से ली
तुम्हारी चिट्ठी, और पावती दे दो.







बड़ी जल्दी आ गए आप लोग,
कल ही तो पत्र भेजा था... लजता है आप
लोग दुनिया बदलाने निकल पड़े ही... देखो
धोती कुर्ते वाले भी जानकार हो गए हैं, जल्दी
मुल्क लेकर इन्हें लोकतन्त्री से भई...
जाओ जानकारी ले लो..



कह अधिकारी हमसे किजना मल्ला
जवाबन कन रहा था ..



हाँ काका बड़ा ही बेवुरा था.. मेरा
तो मन कन रहा था कि कतना सा
जवाब दे दूँ, कि धोती पहनने वाले क्या
लोकतन्त्री जहाँ माँग सकते ?



हाँ नरमान भाई..
गुस्सा तो
मुझे भी आ
रहा था



देखो तो मल्ला किन जनता
के पैसों से सनकान चलती
है उनकी को ऐसा जवाबन...









अपील अधिकारी ने लोगों को सुनने में देर कर

आप चाहते
क्या ले और
क्या जानकारी
मांगी थी ?

उम लोक सूचना अधिकारी
के द्वारा पूरी जानकारी न देने
पर आपको अपील करना
चाहते हैं। आप अपील
ले लें....



अपील अधिकारी अधिकारी अपील परफुल होकर,

आप लोग वह अपील न करने में जोर
करके उस अधिकारी को बोल देता हूँ
वह आपको जानकारी दे देगा और
आप के सभी किस्मों को
मुआवजा भी दिला
देता हूँ



हमें आपकी मेहनतानी नहीं चाहिये।
आप तो हमारी अपील ले लें और हमें
सही और पूरी जानकारी दिलवाने की कृपा करें



कार्यालय की वाहन निकलकर

आज छुटकी की हिम्मत और
दिलेनी देवकन मेना सीता
बोझ हो गया....





तीस दिन सुनने लगे थे सराए और चर्चा करने लगे ...

मिटिख, अपीलनीय
अधिकारी की तपक
से तो कोई जवाब
नहीं आया, अब
क्या करनेगे हम.....

काका...इसमें निराशा
होने की जगह नहीं है
अब हम कल ही दूसरी
अपील सूचना आयोग
कार्यालय में लगावेंगे।

इतना आसान नहीं है जानकारी
मिलना। इसमें तो बहुत समय
समझाव ही पड़ता है।

देनिशवे, अधिकारी इतनी ही आसानी से
जानकारी देते, तो यह कानून लागू की जगह
ही क्या भी इसलिये में हिम्मत नहीं लगनी
और कल ही दूसरी अपील करनी।

हां फुटकी सही कह रही है।
हम कल ही दूसरी अपील
करनेगे।



दुसरे दिन घुटकी ने सबके बीच बैठकर दुसरी अपील तैयार की और घुलक के रूप में जान लुडिगविल स्टॉन्य लगाकर राज्य सूचना आयोग के कमिशनर को टाक में अपील भेज दी।

कुछ दिनों बाद...

तो... घुटकी तुम्हारा पत्र, राज्य सूचना आयोग के कमिशनर के यहाँ भी आया है...



बिटिया जल्दी से पढ़कर तो मुला क्या लिखा है।

कमिशनर साहब ने कहा है दोनों अधिकारियों द्वारा जानकारी नहीं देने पर पांच ठेकेदारों का मुर्मांज किया है और लिखा है कि आपको पांच दिनों में चाली गर्द जानकारी मिल जायेगी।

इतना सुनकर काका की खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने घुटकी को गले लगा लिया...





चौपाल पर पकड़ी गला होते घुरे कर्त कन पने मे

देनखो कोई
माड़ी आ नही है,

तु काका
माड़ी तो आ
नही है.....

बोड़ी ही देन काद - माव मे माड़ी ककी और उनमें मे
तननील कर्तलिया के वही लोक सुवान अधिकारी
जिनको पकने आवेदन दिया था जाने

घुटकी जी
का घन कर्त है।

पठवाना नालव
तम आपने
जानकनी
लेने आये थे।

तु, तु मे वही जानकनी देने
आया हूँ। आप लोगों ने मेनी
शिक्षावा जवन तक कन से
मेना बल नुकसान हो गया।

अने बहन जी
आपने जो जानकनी
मांगी थी मे वत
आपको देने आया हूँ।

आपने तो हमें
पहले अघुनी
जानकनी
दी थी।



हम जानकारी देने में हमसे जल्दी से कई ही लोगों के जो के मुआवजे स्वीकृत नहीं हुए वे वह मुआवजे इन्हीं न्याय स्वीकृत से जल्दी और लम्बी काकी की जमीन का बंटवारा भी कर दिया जायेगा, उनके लिये ऑर्डर कर दिये गये हैं जिसकी कोपी मैं न्याय की लेकन आया हूँ।

ऐसा न हो कि वे आपकी घोषणा ही न हो जाये। अब हम थोड़ी-कुछ वाले भी जान गये हैं कानून की बात..

जहाँ, पुनर्जीवित भूल जाओ काका, सभी के मुआवजे इन्हीं न्याय में मिल जायेंगे।



इतना मुन कर काका, राजाज चाचा और गाँव के सभी लोगों की खुशी का रिकार्ड न कर और सभी ने खुशी के साथ में उठा लिया और एक साथ कर, बेटी हो तो ऐसी। इन तरह खुशी ने किन्नरगढ़ के सभी लोगों की सुख के अधिकार की ताकत का ज्ञान कराया और कानून की ताकत दिखावन कराता कर दिया.....



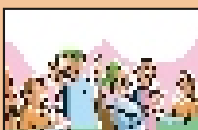
सूचना

हमारे बारे में.....

समर्थन एक स्वैच्छिक व गैर सरकारी संगठन है जो मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वैच्छिक प्रयासों के लिए सहयोगी संस्था के रूप में कार्यरत है। यह संगठन प्रशिक्षण, सूचनाओं तथा जानकारीयों का आदान प्रदान, शोध एवं विचार विमर्श के माध्यम से स्वैच्छिक संस्थाओं, समुदाय व सरकार के बीच समन्वय स्थापित करता है।

वर्तमान में समर्थन स्थानीय स्तर पर स्वशासन एवं पंचायती राज व ग्राम स्वराज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए ग्राम सभाओं को प्रभावी बनाने तथा सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन के लिए प्रयासरत है। हमारा लक्ष्य है कि जागरूक ग्राम सभाएं सक्रिय पंचायतों का गठन करें, जो अपने क्षेत्र के विकास में नए उदाहरण प्रस्तुत कर सकें।

इसी संदर्भ में संस्था ने एक नया प्रयोग करने का प्रयास किया है, जिसमें 'सूचना के अधिकार' के क्रियान्वयन को लेकर एक सरल रूप में 'कॉमिक्स' का निर्माण किया है, जिसमें 'सूचना के अधिकार' जैसे कठिन विषय को सभी के लिये रोचक ढंग से समझाने का प्रयास किया है ?





मैं केवल कोनी कल्पना नहीं हूँ
आप लोगों के साथ समस्याओं
को बाँटना चाहती हूँ मेरी जानकारी
अभी स्वप्न नहीं हुई..आगे भी
समस्याओं पर आपको अपने इसी
ढंग से जानकारी देती रहूँगी...

हाँ पर जब आप जानकारी माँगेंगे..
और दिक्कत आए, तो मुझसे संपर्क करें..।
मेरा पता है...

समर्थन

36 ग्रीन पार्क, बुना मस्टी कॉलन रोड, भोपाल - 4620 16

फोन - (0755) 4993147, 2467605

E-मेल - info@samarthan.org, वेबसाइट - www.samarthan.org

फोन - (0755) 2424410

